संख्या- 128 /2024/आर0एफ0-972/नौ-9-2023/003-E-1730745

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद,
जनपद- बुलन्दशहर।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-918/नि0वि0/2023-24, दिनांक-10.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु कुल लागत धनराशि रू0 167.10 लाख आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उक्त नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव कुल **लागत धनराशि रू0 166.13 लाख (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं 50 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि रू0 83.065 लाख (रूपये तिरासी लाख छः हजार पांच सौ मात्र)** अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

अनुदान संख्या-83 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**नगर पालिका परिषद, सिकन्दराबाद,**	1. वार्ड नं0-14 मौ0 कायस्थवाडा चामड़ कालोनी मे श्री पप्पू के मकान से श्री नन्दू व मनोज के मकान के समीप सी0सी0 रोड द्वारा गली का निर्माण।	15.17		

A.K. SCM Mangal Oo

	जनपद-बुलन्दशहर	2.	वार्ड नं0-14 मौ0 कायस्त वाडा चामड़ कालोनी मे श्री नन्दू पेन्टर के मकान से श्री होराम से होते हुए श्री संजय के मकान तक सी0सी0 रोड द्वारा गली का निर्माण।	19.89		
		3.	वार्ड नं0-4 मौ0 सलेमपुर रोड पर श्री एम0एल0 शर्मा के मकान से श्री रमेशपाल के मकान व श्री प्रमोद शर्मा के मकान से श्री चरन सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड द्वारा गली का निर्माण।	8.16		
		4.	वार्ड नं0-03 मौ0 शिवाजी नगर दनकौन रोड पर श्री सुनील के मकान से शिव मन्दिर होते हुए कुवरपाल के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	14.13		
		5.	वार्ड नं0-03 मौ0 शिवनगर कॉलोनी में अरूण के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	6.38		
		6.	वार्ड नं0-03 मौ0 शिवाजी नगर गली नं0-04 मे संजय के मकान से ललीत व जितेन्द्र के मकान होते हुए संजू के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	16.80		
		7.	वार्ड नं0-15 शमशानघाट रोड श्री जग्गी के मकान से सुन्दर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	23.40		
		8.	वार्ड नं0-15 शमशानघाट रोड श्री तुलाराम से चन्द्रपाल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	22.79		
		9.	वार्ड नं0-15 शमशानघाट रोड श्री रोहताश से सीताराम तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	22.14		
		10.	वार्ड-04 मौ0 सलेमपुर रोड से वहीद के मकान तक सी0सी0 रोड द्वारा गली का निर्माण कार्य।	18.20		
	योग			**167.10**	**166.13**	**83.065**

<u>नियम व शर्तो/ प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वितीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में (मार्च 2024 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

A.K. SCM Mangal Go

(20) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
(21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
(22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 83,06,500 (रुपये तिरासी लाख छह हजार पांच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक **6215027890402** नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या- E-9-443-X-2023-24, दिनांक- 01 फरवरी, 2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
01.02.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

<u>संख्या-128 /2024/आर0एफ0-972/नौ-9-2023/003-E-1730745, तद् दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि-</u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. गार्ड फाइल।
12. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,
01.02.24
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

A.K. SCM Mangal Go

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-01/02/2024

प्रेषण संख्या:- 128
आवंटन आदेश संख्या:- 001-128-2024-RF972-9-9-2023-003-E-1730745
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बुलन्दशहर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8306500 8306500	8306500 8306500
	योग	वर्तमान प्रगामी	8306500 8306500	8306500 8306500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरासी लाख छ: हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरासी लाख छ: हजार पाँच सौ

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव